भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24,तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 399वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन

दिनांक एवं समय - 26 जुलाई, 2023 अपराहन 3.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री प्रो. किशोर के. बासा, **अध्यक्ष**, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. कर्नल सव्यसाची मारवाह, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची संख्या 01</u>

398वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>एनओसी आवेदनों पर विचार</u>

<u>ऑनलाइन नए मामले:</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्रीमती सुबीया राठौर, बी-13 निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में शॉप नं. 18 निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली में 16.41 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ तलघर+जीएफ+3 मंजिलों के साथ तलघर = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 41.16 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 2.89 मीटर के साथ शॉप सह आवासीय भवन के **निर्माण** के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री लाईक अहमद, जी-36, जीएफ, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या जी-36 निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ तलघर+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 125.39 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 2.90 मीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारीकी रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री के सर्वनन, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं.1, क्र.संख्या 280/6, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: निम्नतल = 42.84 वर्गमीटर, प्रथम तल = 97.98 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 97.98 वर्गमीटर, तीसरा तल = 57.08 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र: स्टिल्ट तल = 55.14 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 15.64 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री के सर्वनन, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं.3, क्र.संख्या 280/6, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 14.94 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+2 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 43.36 वर्गमीटर, प्रथम तल = 80.32 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 80.32 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 36.96 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 15.11 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारीकी रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री के सर्वनन, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं.4, क्र.संख्या 280/6, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 14.94 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+2 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 43.36 वर्गमीटर, प्रथम तल = 80.32 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 80.32 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 36.96 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 15.11 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारीकी रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री कोथनदम, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं.2, क्र.संख्या 280/6, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 14.94 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+2 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 43.36 वर्गमीटर, प्रथम तल = 80.32 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 80.32 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 36.96 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 15.11 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारीकी रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री कोथनदम, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं.1,1क,2, क्र.संख्या 280/5क 1ख, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 94.79 वर्गमीटर, प्रथम तल = 223.22 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 223.22 वर्गमीटर, तृतीय तल = 128.43 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 128.43 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 17.78 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्री कोथनदम, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.संख्या 280/5क 1क, टी.एस नं. 56, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 171.30 वर्गमीटर, प्रथम तल = 388.38 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 388.38 वर्गमीटर, तृतीय तल = 217.08 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 217.08 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 33.39 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्रीमती के. कौशल्या एवं श्री आर. कोथनदम, संख्या: 7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में दरवाजा संख्या 20 क्र. संख्या 280/7बी, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ स्टिल्ट एवं जीएफ+3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई क्षेत्र: भूतल = 96.05 वर्गमीटर, प्रथम तल = 287.56 वर्गमीटर, द्वितीय तल = 287.56 वर्गमीटर, तृतीय तल = 184.68 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र:स्टिल्ट तल = 191.51 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 16.33 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्रीमती अमरीन फातिमा, मार्फत जाकिर अली, दरगाह शरीफ, स्टार मोंटेशरी के पास बहराईच-271801)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेसंख्या 1560 मिन, बहराईच, उत्तर प्रदेश मे 09.42 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ जीएफ+1 तल के साथ जीएफ = 1एफ = 112.84 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री अनिश प्रॉशभाई गांधी, सरोवर डवलपर प्रा. लि; पहला तल, सरोवर लेंड मार्क, गोवर्धन वाड़ी क्रास रोड, कंकाड़ीया, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएफपी संख्या 167, टीपीएस संख्या 14 (शाही बाग), (दूसरी प्रकार का) शाही बाग, अहमदाबाद में 22.80 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ जीएफ (एचपी+(एसपी)+1 से 6 मंजिलों के साथ जीएफ (एसपी) = 288.99 वर्गमीटर, जीएफ(स्वास्थ केंद्र एवं आगंड़वाडी) = 50.89 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ =3एफ =4एफ =5एफ =6एफ = 518.22 वर्गमीटर, एससी = 48.32 वर्गमीटर, एलएमआर एवं ओएचडब्ल्यूटी = 30.86 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री मुकेशभाई बंसीलाल शाह, सांगवी अम्बालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट के ट्रस्टी, 24/बी, दीपकुंज सोसाईटी, मोली अपार्टमेंट के सामने भागनगर टेकरा, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एफपी संख्या 933/5, टीपीएस संख्या 3 ऐलीसबर्ग (पालड़ी खंड), पालड़ी , अहमदाबाद गुजरात में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ जीएफ + 3 मंजिलों के साथ जीएफ = 217.37 वर्गमीटर, 1एफ = 229.98 वर्गमीटर, 2एफ = 3एफ = 108.22 वर्गमीटर, छत का तल (एसी+ओएचडब्ल्यूटी+एसडब्ल्यूएसएच) = 80.05 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री ऊनीकृष्णन एवं उमा, पुल्लीनधारीयलम हाउस, वलपड़ डाकघर, त्रिप्रयार, त्रिशूर-680567, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र. संख्या 290/9, वार्ड संख्या VIII, वल्लपड, नतिका, त्रिप्रयार छवकड़, त्रिशूर में 8.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ (वर्तमान) = 82.45 वर्गमीटर, प्रथम तल (वर्तमान)= 58.14 वर्गमीटर, प्रथम तल = 20.44 वर्गमीटर (प्रस्तावित) के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने

की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(द मदर सुपीरियर, एसएच कॉवेन्ट, सुल्तान बाथवी, डाकघर, वायनाड-673592, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र. संख्या 525/29/डिवीजन संख्या 32, एस बाथरी नगर निगम में 10.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ जीएफ+2 मंजिलो के साथ जीएफ = प्रथम तल = द्वितीय तल = 271.96 वर्गमीटर के संस्थागत भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(मोहित टैरेस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लि., फाइनल भूखंड संख्या 18, क्र.संख्या 213,214,215/2, सीटीएस संख्या 2112, भूखंड संख्या 48, हिंदुस्तान एस्टेट , रोड संख्या 02, कल्याणी नगर, पुणे-06, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में फाइनल भूखंड संख्या 18, क्र.संख्या 213,214,215/2, सीटीएस संख्या 2112, भूखंड संख्या 48, हिंदुस्तान एस्टेट, रोड संख्या 02, कल्याणी नगर, पुणे-06, महाराष्ट्र में **24.00** मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि) के साथ निचला तल/जीएफ पार्किंग+7 मंजिलों के साथ एफएफ = 307.29 वर्गमीटर, 2एफ = 327.47 वर्गमीटर, 3एफ = 320.26 वर्गमीटर, 4एफ = 5एफ = 6एफ =372.89 वर्गमीटर, निचला तल = 135 वर्गमीटर, भूतल से 1.55 मीटर नीचे, लिफ्ट का गड्ढा = 1.08 मीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री सोमेश्वर वसंत महात्रे और श्री सिद्धराम अकुंश महात्रे, ए/पी गोडेश्वर, तालुक मोहोल जिला-शोलापुर-413253, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया ।

मामला संख्या 05

(श्री सीताराम मुरलीधर कुंभार, एटी/पोस्ट-वेलापुर, तालुक मलसीरास, जिला-सोलापुर-413113, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्तावित निर्माण स्थल सीपीएम के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20क (4) के अनुसार ऐसे प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी निर्माण की अनुमति नहीं है।

मामला संख्या 06

(श्री जीवरजनी कीर्तिभाई हरीलाल, 417/1, नारायन पीठ, मुंजोबा लेन, जिला-पुणे-411030, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 21.00 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया ।

मामला संख्या 07

(श्रीमती प्रीति श्रोत्रिया, ए-7 मईत्री संकुल, पाडंव वन बंगला, जिला-नासिक-422010, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन करते हुए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पहले ही आवासीय भवन का निर्माण पूरा कर लिया है।

मामला संख्या 08

(श्री शिव लाल दागडु कोरूलकर, डाकघर-गोदेश्वर, तालुक-मोहोल, जिला-शोलापुर-413253, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन करते हुए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भूतल पर दुकान का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया है।

मामला संख्या 09

(श्री अम्बादास नारायण जाधव, दक्षिण कस्बा, (पनीवेस तालिम), जिला-शोलापुर-413007, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन करते हुए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पहले ही आवासीय भवन का निर्माण पूरा कर लिया है।

ऑफलाइन मामलों का अनुपालन

मामला संख्या 1

(श्रीमती मिसलेनी बिसवाल, सी-125, नालको नगर, अंगुल जिला-अंगुल, उड़ीसा-759145)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया ।

मामला सं. 2

(प्रधान अधिकारी, पनहला हिल स्टेशन नगर परिषद, पनहला, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 641, पनहला क्लब के कोने पर, तालुक - पलहला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में " सेल्फी पाइंट" ढाचे के निर्माण के पश्चात 2.57 मीटर की ऊंचाई और 0.45 मीटर की मोटाई (तकरीबन) के साथ " आई लव (दिल का प्रतीक-चिन्ह) वाले स्टील फ्रेम के निर्माण के साथ पत्थर की दीवार के निर्माण के लिए के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 3

(प्रधान अधिकारी, पनहला हिल स्टेशन नगर परिषद, पनहला, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले से यह जानकारी मिली है कि यह प्रस्ताव मौजूदा इंटरप्रेटेशन सेन्टर भवन के नवीनीकरण और परिवर्धन का है। यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को मौजूदा ढाचे की क्षैतिजाकार और उर्ध्वाकार सीमाओं को सीमित करके प्रस्ताव को संशोधित करके भेजने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेज दिया जाये।

मामला संख्या 4

(श्री संजोय गोगोई, सुपुत्र श्री केशोब चंद्र गोगोई, मार्फत श्री केशोब चंद्र गोगोई, हैप्पी लोज-4, डाकघर जॉयसागर, असम, पिन-785665)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डोर संख्या 7683, पट्टा संख्या 306, मौजा-नगरमहल, जिला-शिवसागर में केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी से 102 मीटर परे खाली जगह छोड़कर निर्माण करते हुए 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (सब मिलाकर) के साथ जीएफ + एफएफ असम प्रकार के साथ, भूतल = 1एफ = 60.80 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। उत्थापित जल भंडारण जलाशय का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 5

(श्री हरीप्रसाद बल्लुभाई ठक्कर, सब्जी बाजार चौक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के निकट, द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस संख्या 2280/ए, 2281, 2282, 2283, 2284 एवं 2285, शीट संख्या 37, द्वारका टाउन में 16.48 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 3 + छत का तल के साथ जीएफ = 260.16 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 268.73 वर्गमीटर, एवं छत का तल = 23.73 वर्गमीटर के साथ आवासीय और व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑनलाइन मामलों का अनुपालन

मामला सं. 1

(श्री पी. जे. मगेश और श्रीमती सुधा विश्वनाथन, न्यू संख्या 4 और पुराना संख्या 20, अन्नासामी स्ट्रीट, पलवरम, चेनन्ई-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र. संख्या 50/206 पार्ट, पल्लवरम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 14.44 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र: भूतल = 60.50 वर्गमीटर 1एफ = 217.45 वर्गमीटर, 2एफ = 217.45 वर्गमीटर, 3एफ = 158.10 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र: स्टिल्ट तल = 156.95 वर्गमीटर, हैडरूम = 9.90 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 2

((1) श्री एन. कृष्णन (2) श्रीमती के. जयंती, फ्लैट संख्या सी 302, मंत्रा नवरत्न संख्या 23, एमजीआर, स्ट्रीट, कोलावरम नगर, क्रॉम्पेट चेन्नई 600044)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं. 3बी, क्र.संख्या 75/2ए1बीपीटी, पल्लवरम, चेंगलपट्टू में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ

स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र 1एफ = 2एफ = 3एफ = 89.95 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र; स्टिल्ट तल = 89.95 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 12.58 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 3

(श्री के. ए. कार्तिकेयन और श्रीमती शक्ति गणेशन, सी-204, सी ब्लॉक, मंत्री नवरत्न अपार्टमेन्ट संख्या 23 एमजीआर स्ट्रीट, कोलावरम नगर, सेंट्रल बैंक कॉलोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई 600044)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 2बी, क्र.संख्या 75/2ए, 1 पार्ट, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र: 1एफ = 2एफ = 3एफ = 77.13 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र; स्टिल्ट तल = 77.13 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 11.70 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 4

(श्री अशोक, 5/161, पेरूमल कोविल स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 412/1सी 1 पेरूंबक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.69 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 244.00 वर्गमीटर 1एफ = 244.00 वर्गमीटर, हैडरूम = 2.78 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 5

(मैसर्स सुमनगली प्रोपर्टीज प्रा. लि., आनंद शिवाजी (स्वामी), 5/161, पेरूमल कॉयल स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई 600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 412/1सी 4 पेरूमबक्कम शोलिंगनल्लुर, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.69 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 244.00 वर्गमीटर, 1एफ = 244.00 वर्गमीटर हैडरूम = 27.50 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 6

(श्री के सर्वणन, संख्या:7, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलकट्टालाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में दरवाजा संख्या 28, क्रम संख्या 323/3 पीटी, कीलकतलाई, पल्लवरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ 1एफ = 271.10 वर्गमीटर, 2एफ = 271.10 वर्गमीटर, 3एफ = 271.10 वर्गमीटर, स्टिल्ट तल क्षेत्र =271.10 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 15.11 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 7

(श्री अमरनाथ मिश्रा सुपुत्र श्री बालक राम मिश्रा, गाँव-फुलाई गूँथ जोगेश्वर तहसील-भनोली,जिला-अल्मोड़ा, (उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भू खाता संख्या 91 एवं 96, बसरा संख्या 1611 मिन एवं 478 मिन खेत संख्या 1636, 1638, 1650 रकबा- 0.025 हेक्टेयर गांव-फुलाई गुंथ जोगेश्वर, अल्मोडा, उत्तराखंड में 04.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक

आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 86.03 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ममला सं. 8

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भू खाता सं.- 43, खसरा संख्या 85, रकबा-0.011 हेक्टेयर, गांव फुलाई जोगेश्वर, अल्मोडा, उततराखंड में 08.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ= 56.91 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री गुरदास सिंह सुपुत्र श्री चाँद सिंह, एमसी संख्या 6238, एमसीबी-जेड-1-03639, राज डेरी के पास, मछी वाला मोहल्ला, हीरा चोक के पास, भटिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एमसी संख्या 6238, एमसीबी-जेड-1-0363, राज डेरी के पास, मछी वाला मोहल्ला, हीरा चौक के पास, भटिंडा में 08.07 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 48.35 वर्गमीटर, 1एफ = 48.35 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 10

(श्री हरमेश कुमार सुपुत्र सोमनाथ, बीपीओ संगोल, तहसील खमन्न, जिला फतेहगढ साहिब-140802 पंजाब राज्य जो अब गांव बहरामपुर तहसील चमकोर साहिब, जिला रूपनगर, पंजाब में है)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया ।

मामला सं. 11

(श्री हरदीप कुमार, खाता संख्या 479/471, खसरा संख्या 471/8/2(2-18)35/222, 0-3-8 का भाग, उजला मार्केट कॉलोनी, न्यू डाकघर के पास, नूर महल, तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर पिन-144039)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला सं. 12

(श्री विनोद कुमार राय, रविदासपुरा रोड, जसविंदर टीवी मरम्मत के पास, नूर महल, तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर, पिन -144039, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में नूरमहल, सब-तहसील फिल्लौर, जालंधर, पंजाब में 8.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 24.26 वर्गमीटर, 1एफ = 21.25 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 13

(श्रीमती राज रानी पत्नी श्री सुरिंदर कुमार, एमसी संख्या 5005, एमसीबी-जेड-1/06481, अफीम वाली गली, बठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 5005, बठिंडा, पंजाब में 7.47 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भूतल = 66.87 वर्गमीटर, 1एफ = 66.87 वर्गमीटर, 2एफ = 16.79 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 14

(श्री सन्नी कुमार, विशाल कुमार, रेनू कुमारी, नरेश कुमार, एमसीबी-जेड-1-11317 माता रानी स्ट्रीट, बठिंडा-151001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 3977, बठिंडा, पंजाब में 7.93 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 90.33 वर्गमीटर, 1एफ = 45.16 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 15

(श्री अजय जी ठक्कर और श्री श्रेयस जी ठक्कर, 6, सुरज पार्क सोसाइटी, श्रेयस कुंज, राजनगर, पालड़ी, अहमदाबाद-380007 (गुजरात))

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टीपीएस संख्या 3, एलिस ब्रिज (पालड़ी सेक्शन), एफपी संख्या 927/7, पालड़ी , अहमदाबाद, गुजरात में 22.80 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 5 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ =3एफ =4एफ =5एफ = 147.02 वर्गमीटर, सीढियों का कैबिन = 26.15 वर्गमीटर, ओएचडब्ल्यूटी = 11.87 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

प्रस्तुतिकरण मामले:

मामला सं. 1

(नगर परिषद राजसमंद, 3वी7जी+7एच2, केलवारा, राजसमंद, राजस्थान 313333)

इस मामले पर पहले दिनांक 06.02.2023 को हुई एनओसी की 379वीं बैठक में विचार किया गया था और कार्यकारी अभिंयता, राजसमंद द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण और आवेदन पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संदर्भित केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा से 100 मीटर से परे प्रतिषिद्ध क्षेत्र से होकर जाने वाली प्रस्तावित सड़क के हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेज दिया जाये।

मामला सं. 2

(कलैक्टर, चद्रंपुर कलैक्टर, जिला-चद्रंपुर-442401, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद और बाद में किये गये प्रस्तुतिकरण के पश्चात प्राधिकरण ने प्राप्त हुये प्रस्ताव और कार्यकारी अभिंयता, चद्रंपुर द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण में विसंगति देखी। अत: आवेदक से आवश्यक परिवर्तन समाविष्ट करते हुए प्राधिकरण के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण कराने के लिए कहा गया।

मामला सं. 3

(इनटेंक, एनएचडी अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री मन्नु भटनागर, 71, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद निम्नलिखित ऊंचाई और तलक्षेत्र के साथ जिला पार्क, सार्वजनिक भवन के सतपुला परिसर में चेंबर, बायोरेमेंडिएशन टैंक और ट्यूब सेटलर के निर्माण के लिए इस मामले में अन्नापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया:

क्र.सं.	प्रस्तावित सरंचना	भूआच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटर)	भू स्तर से नीचे ऊंचाई (मीटर)	भू स्तर से ऊपर ऊंचाई (मीटर)
1.	चेंबर	1.45	1.23	1.60
2.	बायोरेमेंडिऐशन टैंक-2 सं.	38.75	0.4	1.60
3.	ट्यूब सेटलर	11.10	1.70	2.0

एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला सं. 1

(श्री राहुल कपूर और रितुल कपूर, ए2/19, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ए2/19, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 264.08 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ =3एफ = 225.38 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 4.20 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के

निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं. 2</u>

(श्रीमती शीना नाईक बी, मुख्य अधिकारी टाउन नगर परिषद मुडाबिद्रे, दक्षिण कन्नड़ जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 21.06.2023 के निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण ने एनओसी आवेदन पर विचार किया और उसके पश्चात इस मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक ने प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिये बिना पहले से निर्माण कार्य कर रखा था और प्राधिकरण को पहले से किये गये निर्माण के लिये कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करने का अधिकार नहीं है और यह एएमएएसआर अधिनियम, 1958 का स्पष्ट उल्लंघन है और इसमें एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 30(ख) में यथा उपबंधित दंड के प्रावधान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।